

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज
राजस्व वाद 134/2016
अनवान् रेशी देवी बनाम नरेश कुमार वगैरा

नं. व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामिल में
जारी हुए

03.11.2025

वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील की एक पक्षीय बहश सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। लिहाजा वादी का वाद व तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।

कं सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01	रेशी देवी पत्नी नारायणदास हिस्सा पूर्ण जाति सुनार सा. बायतु खातेदार	मदरुपोणियों की ढाणी	557/1	6.0675	बा. सोयम	0.31
योग :-			01	6.0675	-	0.31
02	नरेश कुमार चौपड़ा हिस्सा पूर्ण जाति महाजन लोहरों का वास तहसील बाड़मेर	मदरुपोणियों की ढाणी	557/1	मदरुपोणियों की ढाणी	बा. सोयम	0.30
योग :-			01	6.0675	-	0.31

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।



अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठारीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.

वादी
1. रेशीदेवी पत्नि नारायणदास जाति
सुनार निवासी गदरूपोणियों की
ढाणी, पनावड़ा तहसील बायतु।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नरेश कुमार पुत्र सोहनलाल चौपड़ा
जाति महाजन निवासी लोहारों का
वास तहसील वाड़मेर।
2. तहसीलदार बायतु।

दावा बाबत 88, 53, 108 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 134/2016


निर्णय दिनांक :- 03.11.2025

वादी की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.11.2025 को (नाम पीठारीन अधिकारी) कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करे।


खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 03.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

आशुिक नक्शा दिशतकार

ग्राम :- मदरुपोणियों की ढाणी

पनावडा (प्रतिलिपि) पनावडा

तहसील बायतु

प्रपत्र पी-26 (सी) देखिये नियम 153 ए

ग्राम का नाम :- मदरुपोणियोंकीढाणी
पटवार हल्का :- पनावडा
भू अभि.नि. :- पनावडा
तहसील :- बायतु
जिला :- बालोतरा

आंतिम चौसला आधार उचित :- 2076-2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थापी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 31

खाता संख्या पुराना :- 5

संकेत

1. रेशी देवी



2. नरेश कुमार




काश्तकार का नाम:-

- नरेशकुमार चौपडा पुत्र सोहनलाल चौपडा हिस्सा- 1/2 जाति- महाजन सा. लोहरो का वास तह. व जिला बाडमेर खातेदार
- रेशीदेवी पति नारायणदास हिस्सा- 1/2 जाति- सुनार सा. बायतु खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
557/1	12.1350	बा.सोयम	12.1350 0.61		
कुल खसरे - 1	12.1350		12.1350 0.6100		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में सक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है। नकल जारी करने की तिथि :- 16-Sep-2025



Signature
9-11-2025

राजकीय प्रशासक
Signature
9-11-2025

रेशी देवी

प्रतीक

Signature
9-11-2025

Signature
11-11-2025

Signature

Pratap

तहसीलदार बायतु
जिला-बालोतरा